कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर — 492002 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक — मू—प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेलः apecf-lm.cg@gov.in

\$50/LAND-43/209/2025-FOREST HQ / 193/

नवा रायपुर, दिनांक 23/07/2025

प्रति.

अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर

Diversion of forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnice Building for Skill Upgradation Area 4.309 harreg.

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Others/27773/2017

- संदर्भ:— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/IROCH-07/2021/529 दिनांक 08.02.2022
 - 2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./ विविध/ 2025/ 2072 दिनांक 02.07.2025 ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र—1 द्वारा प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र अंतर्गत 4.309 है, वन भूमि में "पॉलीटेक्निक कॉलेज' निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अधिरोपित शर्ती का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है:--

丣.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legel Status of the diverted forest land shall remin unchanged;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पर संलग्न है।(संलग्नक—1)
	Compensatory Afforestation:	
ii	Compansatory afforestation shall be taken up by the Forest Department Over 8.618 ha. Orange Area degraded forest land Compartment No. OA 1474, Village- Sirshida, Charama, Range- Charama, District Kanker at the Cost of the user agency. As fer as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले कांके वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र चारामा के ग्राम सिरसिदा व नारंगी वन कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1474 में से रकबा 8.61 हेक्टेयर में उपलब्ध कराई गई नारंगी वनभूमि पर स्थानी स्वदेशी प्रजाति के वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रूपर 1,00,80,302.00 में से 1,00,00,000.00 रूपये ई—चाला जनरेट कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No RBI0732599794255 विनांक 10.3.2025 तथ वैकल्पिक वृक्षारोपण की शेष राशि 80302.00 रूपये ए प्रत्याशा मूल्य की राशि 41,27,074.00 रूपये इस प्रका कुल 42,07,376.00 रूपये को UTR No SBIN5202503 -1878865890 विनांक 18.3.2025 हार कैम्पा खाता में जमा की गई है प्रकरण में उपलब्ध करा

Letter Vividh Palan Prativadan 2025 - 27

gle-

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
		गई नारंगी भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्बर का कार्य नहीं किया जावेगा। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक—2)
iii	The Cost Compansatory Afforestation at the prevailing wage rate at per compensatory	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
	afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposit in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include approprite provision for anticipated cost increase for works scheduled for	पत्र सलग्न ह ा(सलग्नक—5)
iv	subsequent years; NPV:	
	The State Government shall charge the Net Present	शानेत्रक विभाग राजा माननीय सर्वोच्य साराज्य
(a)	Value (NPV) at Present rate for the 4.309 ha. forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.03.2008 and 09.05.2008 in writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guildlines issued by the Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC Dated 05.02.2009 in this regard;	मारत के पत्र दिनांक 28.03.2008 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वनभूमि रकबा 4.309 हे. के लिए (Eco Class-III) खुला वन प्रति हेक्टेयर के निर्धारित दर 9,57,780.00 रूपये प्रति हेक्टर के मान से कुल राशि 41,27,074 रूपये एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की शेष राशि 80302.00 रूपये का ई—चालान जनरेटर कर
		आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इस प्रकार कुल
		42,07,376.00 रूपये को UTR No.SBIN5202503- 1878865890 दिनांक 18.3.2025 द्वारा में जमा की गईहै। (संलग्नक–4)
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest	प्रकरण के विरुद्ध गैर वानिकी कार्य के लिये व्यपवर्तन
	land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect	हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 4.309 हे. के लिए निर्धारित प्रत्याशा मूल्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्याशा मूल्य की प्रचलित राशि में संशोधन की जाती है तो अंतर की राशि राज्य सरकार या वन विभाग के द्वारा मांग की जाती है, तो प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि को जमा करने के लिए विभाग वचनबद्ध है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक—5)
٧	All the funds received from the user agency under	
	the project , except the funds realized for regeneration/ Demarcation of safety zone, shall be transferred to CAMPA through e-challan (https://parivesh.nic.in/) in the Saving Bank Account pertaining to the State Concerned;	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
vi	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillers, each inscribed with its serieal number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	पत्र संलग्न है। (संलग्नक—7)
vii	The complate compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2018 की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-8)
viii	To improve the Forest/tree cover and to reduce polluation, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Enivronmental (Protection) Act, 1986	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)

	क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
		respectively, the User Agency shall develop a	
		separate nursery at on ro more places to raise at least	
		5000 seedling for forestry species along with	
		bamboo, fruiy bearing, medicinal, ornamental and	
		indigenous local every year. At least 50% of	
		seedlings shall be planted by User Agency in the	
		vicinity of project are including forest area and for	
		hand holding with local people residing in vicinity	
		of proposed road, User Agency shall voluntary distribute reamining 50% of seedling to them free of	
		cost. A compliance report including species wise	
		datails o seedling raised, location of plantation are	
		and details of villagers whom seedlings have been	
		distributed need to be prepared every six month and	
		submitted to Regional Office to MoEF& CC.	and the second control of the second control
	ix	User Agency shall obtain Environmental Clearance as	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		per the provisions of the Environmental (Protection)	पत्र संलग्न है। (संलग्नक—10)
		Act, 1986, if applicable,	
	х	No labour camp shall be established on the forest	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		land;	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
	хi	The User Agency shall provide fuels preferably	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		alternate fuels to the labours and the staff working at	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
		the site so as avoid any damage and pressure on the	43 del. (6) (del. 14) 12)
		nearby forest areas;	
2	ιü	The forest land shall not be used for any purpose	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		other then that specified in the proposal;	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
Х	ili	The layout plan of the proposal shall not be changed	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		without prior approval of Central Government	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
X	iv	The forest land proposed to be diverted shall under	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		no circumstances be transferred to any other	पत्र संलग्न है। (संलग्नक–15)
		agencies. department or person without prior	AN COLUMN 19)
_		approval of Central Government;	
7	ΥV	No damage to the flora and fauna of the adjoining	
		area shall be casued;	पत्र संलग्न है। (संलग्नक–16)
Х	vi	Any tree felling shall be done only when it is	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		unavoidable and that too under strict supervision of	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
		the State Forest Department;	
X	vii	The User Agency Shall submit six monthly self-	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		compliance reports as on 1st January and 1st July of	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
		every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;	
	viii		आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
1		co-terminus with the period of lease to be granted in	पत्र संलग्न है। (संलग्नक–19)
		favour of the User Agency or the project life,	पत्र सलान ह। (सलानक-19)
		whichever is less;	
X	ix	Violation of any of these conditions will amount to	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
	-	violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and	पत्र संलग्न है। (संलग्नक—20)
		action would be taken as per the MoEF&CC	
		Guideline.	
7	XX		आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन
		conditions of forest clearacne and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of	पत्र संलग्न है। (संलग्नक—21)
		every year;	
78	ΙΧΊ		आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन

큙.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	
xxii	Grant of working permission to the extent proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as containted in MoEF& CC's Guidelines dated 28.08.2015	
xxiii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक—24)

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र—3 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्ती की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। तदानुसार शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर को प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु पत्र प्रारूप अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार

(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by Sunil Kumar Mishra Date: 22-07-2025

प्रधा**नं बुंख्ये2व्र58**संरक्षक . (भू—प्र.∕वन (सं. एवं सं.) अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ LAND-43/209/2025-FOREST HQ//93/2 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः नवा रायपुर, दिनांक 🏏 07/2025

- 1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 2. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3. **प्राचार्य,** शासकीय पॉलिटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।